



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 529 / अका. / का.प / 2022

रायपुर, दिनांक 11/11/2022

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की सत्तरीवीं बैठक शुक्रवार दिनांक 11.11.2022 को अपराह्न 03:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति –अध्यक्ष

- | | | | |
|------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| 1. डॉ. एस.के. प्रसाद | – सदस्य | 6. डॉ. अल्फा रेखा सी. जेम्स | – सदस्य |
| 2. डॉ. मधुलिका अग्रवाल | – सदस्य | 7. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट | – सदस्य |
| 3. डॉ. शैलेन्द्र सराफ | – सदस्य | 8. डॉ. एम.एल. नायक | – सदस्य |
| 4. डॉ. के.एन. शर्मा | – सदस्य | 9. श्री सोनाऊ राम नेताम | – सदस्य |
| 5. डॉ. ममता शर्मा | – सदस्य | | |

डॉ. शैलेन्द्र कुमार पटेल, प्रभारी कुलसचिव –सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.10.2022 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: संपुष्टि की गई।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.10.2022 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु चयन समिति गठित करने राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 1-3/2022/रास/यू-1 दिनांक 12.10.2022 के परिपालन में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(2)(i) के अंतर्गत कार्यपरिषद् द्वारा एक व्यक्ति के निर्वाचन के संबंध में विचार करना।
निर्णय: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु चयन समिति में कार्यपरिषद् द्वारा डॉ. ए.टी. दाबके, पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ एवं पूर्व कुलपति, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) का निर्वाचन किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. राज्य शासन के आदेश क्रमांक 709/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 14.10.2022 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप विश्वविद्यालय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 01.10.2022 से सातवाँ वेतनमान में 28 प्रतिशत से बढ़ा कर 33 प्रतिशत एवं छठवाँ वेतनमान में 189 प्रतिशत से बढ़ा कर 201 प्रतिशत किए जाने संबंधी वित्त निर्देश 28/2022 को अंगीकृत करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने विचार करना।
निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश 28/2022, पत्र क्रमांक 709/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 14-10-2022 के परिपालन में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को निम्नानुसार अंगीकृत किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई:-

वेतनमान	अवधिय जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवाँ वेतनमान	दिनांक 01.10.2022	5%	33%
छठवाँ वेतनमान	दिनांक 01.10.2022	12%	201%

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. स्व. डॉ. अमरकांत पाण्डेय, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला का आकस्मिक निधन पश्चात् सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 34,63,044.00 (रुपए चौतीस लाख तिरसठ हजार चवालीस मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. विश्वविद्यालय के कला भवन सेमीनार हॉल एवं सी.व्ही. रमन सेमीनार हॉल के लिए 226 नग ऑडिटरियम चेयर क्रय करने हेतु राशि रु. 31,52,926=00 (रुपए इकत्तीस लाख बावन हजार नौ सौ छब्बीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

मानव संसाधन विकास केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. मानव संसाधन विकास केंद्र के अतिथि गृह (HRDC, Guest House) के कक्षों के वर्तमान दर में संशोधन करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय के HRDC, Guest House में कमरा किराया शुल्क में निम्नानुसार संशोधन करने का अनुमोदन किया गया :-

क्र.		वर्तमान दर (प्रति कक्ष/प्रतिदिन)	प्रस्तावित दर (प्रति कक्ष/प्रतिदिन)
1.	परीक्षा, शोध एवं विश्वविद्यालय कार्य के लिए आमंत्रित अतिथियों हेतु	रु. 500.00	रु. 400.00
2.	अन्य विभागों एवं निजी अतिथियों हेतु	रु. 500.00	रु. 600.00

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न 15 भवनों के बाह्य पुताई कार्य हेतु अनुबंधित फर्म मेसर्स संस्कृति इंफ्रा रायपुर द्वारा किए गए कार्य के अंतर्गत प्रथम एवं अंतिम देयक का भुगतान राशि रु. 27,79,170=00 (रुपए सत्ताइस लाख उन्यासी हजार एक सौ सत्तर मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

9. विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न 12 भवनों के बाह्य पुताई कार्य हेतु अनुबंधित फर्म मेसर्स संस्कृति इंफ्रा रायपुर द्वारा किए गए कार्य के अंतर्गत प्रथम चल देयक का भुगतान राशि रु. 18,08,334=00 (रुपए अट्ठारह लाख आठ हजार तीन सौ चौतीस मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10.11.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देश 29/2022 पत्र क्रमांक 2135/एफ-01002199/एल-11-2/ब-4/चार अटल नगर, दिनांक 04.11.2022 के अनुसार विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के पाँचवें किस्त के एरियर्स की राशि माह सितंबर-2017 से जनवरी-2018 तक कुल राशि रूपए 60,72,618/- (रूपए साठ लाख बहत्तर हजार छः सौ अठ्ठारह मात्र) के भुगतान किए जाने की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा पश्चात् कार्य सत्र 2021-22 का देयक राशि रु. 2,63,07,439.00 (रूपए दो करोड़ तिरसठ लाख सात हजार चार सौ उनचालीस मात्र) के द्वितीय एवं अंतिम भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 21.10.2022 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

1. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्र. एफ 17-110/2022/38-2, दिनांक 10.08.2022 एवं राज्य शासन के पत्र क्र. एफ 17-110/38-2, दिनांक 11.10.2022 के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम/अध्यादेश में संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्र. एफ 17-110/2022/38-2, दिनांक 10.08.2022 एवं राज्य शासन के पत्र क्र. एफ 17-110/38-2, दिनांक 11.10.2022 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10.11.2022 के अनुशंसानुसार विश्वविद्यालय में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित प्रारूप अध्यादेश का अनुमोदन किया गया।

2. भौतिकी अध्ययनशाला हेतु फर्म, Sai Info Services, No.-14, Phase-1, Shiva Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) से 09 नग कंप्यूटर क्रय पश्चात् देयक राशि रु. 5,78,449=00 (रूपए पाँच लाख अठहत्तर हजार चार सौ उनचास मात्र) भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।


3. डॉ. एम.एल. नायक, माननीय कार्यपरिषद् सदस्य द्वारा लिखित पुस्तक 'Biodiversity of Pt. Ravishankar Shukla University, Campus Raipur' को प्रकाशित करने के संबंध में विचार करना।


निर्णय: माननीय कार्यपरिषद् सदस्य डॉ. एम.एल. नायक द्वारा लिखित पुस्तक 'Biodiversity of Pt. Ravishankar Shukla University, Campus Raipur' को प्रकाशित करने के लिए अनुमानित लागत राशि रु. 1.30 लाख (रूपए एक लाख तीस हजार मात्र) का अनुमोदन किया गया। यह विश्वविद्यालय का प्रकाशन होगा तथा प्रकाशन पश्चात् पुस्तकें विकास विभाग के माध्यम से विक्रय/वितरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. विश्वविद्यालय द्वारा सन् 1970 में प्रकाशित 'छत्तीसगढ़ के गाँधी' पुस्तक को पुनर्प्रकाशित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय द्वारा सन् 1970 में प्रकाशित 'छत्तीसगढ़ के गाँधी' पुस्तक को पुनर्प्रकाशित करने हेतु अनुमानित लागत राशि रु. 1.00 लाख (रुपए एक लाख मात्र) का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष



प्रभारी कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 530 / अका. / का.प. / 2022

रायपुर, दिनांक 11 / 11 / 2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला / समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक / प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)